

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 38 / 2024  
जीसीएमएस नं. : 2024 / 110

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,  
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री नारायण सिंह पिता रूपसिंह राजपुत प्रोपराईटर  
जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, गोदाम स्थल  
बुरहानी हॉस्पिटल के पास, बेडवा, बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

—विभागीय प्रतिनिधि

श्री हिरालाल जैन – अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 11-12-2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.10.2024 की पालना में दिनांक 24.10.2024 को जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, गोदाम स्थल बुरहानी हॉस्पिटल के पास, बेडवा, बांसवाड़ा (राजस्थान) की जांच उसके प्रोपराईटर श्री नारायण सिंह पिता रूपसिंह राजपुत की उपस्थिति में श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाई तैयार की जा रही थी। साथ ही 4 घरेलु सिलेण्डर का फर्म पर अवैध भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	0536842 T	18.900	15.800	3.100
2	भारत गैस	0561478 S	29.500	15.300	14.200
3	भारत गैस	100394 B	29.500	15.300	14.200
4	भारत गैस	154299 B	26.500	15.500	11.000
5	भारत गैस	21610 S	18.100	15.700	2.400



जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

श्री नारायण सिंह पिता रुपसिंह राजपुत द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 05 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस सिंगल भट्टी गैस चुल्हा, रबर ट्यूब एवं रेग्युलेटर जब्त किए जाकर मैसर्स वैष्णवी गैस एजेन्सी परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस सिंगल भट्टी गैस चुल्हा, रबर ट्यूब एवं रेग्युलेटर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री हिरालाल जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं दिनांक 11.12.2024 को जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है जो निराधार है। अप्रार्थी किसी भी प्रकार का घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसाय उपयोग नहीं कर रहा था न ही भण्डारण किया गया है। उक्त गैस सिलेण्डरो को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नहीं है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त जवाब के साथ ही बहस प्रस्तुत की। बहस में भी उक्त बिन्दुओं को दौहराते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को राजसात करने निवेदन किया।

दिनांक 24.10.2024 को जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, गोदाम स्थल बुरहानी हॉस्पिटल के पास, बेडवा, बांसवाडा (राजस्थान) की जांच उसके प्रोपराईटर श्री नारायण सिंह पिता रुपसिंह राजपुत की उपस्थिति में श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाई तैयार की जा रही थी। साथ ही 4 घरेलु सिलेण्डर का फर्म पर अवैध भण्डारण करना पाया गया। श्री नारायण सिंह पिता रुपसिंह राजपुत द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस



जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 05 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने हेतु भण्डारण किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 05 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर मैसर्स वैष्णवी गैस एजेन्सी परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस सिंगल भट्टी गैस चुल्हा, रबर ट्यूब एवं रेग्युलेटर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उपरोक्तानुसार 05 घरेलु गैस सिलेण्डर जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, गोदाम स्थल बुरहानी हॉस्पिटल के पास, बेडवा, बांसवाडा (राजस्थान) पर अवैध भण्डारण करना गए है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का अवैध भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस सिंगल भट्टी गैस चुल्हा, रबर ट्यूब एवं रेग्युलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस सिंगल भट्टी गैस चुल्हा, रबर ट्यूब एवं रेग्युलेटर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 11-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. इंद्रजीत यादव)  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)